Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA NO 59 /2021

No. 2010/AC-II/21/10/PT.IV(vol.II) Date: 9 .11.2021

General Managers
All Zonal Railways/PUs

Sub:- Physical verification of Railway Pensioners at Banks.

Ref:- Board's letter of even no. dated 11.10.2021 (RBA No. 54/2021)

Rising pension expenditure has made it incumbent on Zonal Railways to ensure that no excess pension payments are being made. Further, spot checks and internal checks are being conducted by Zonal Railways/PUs every month and reported to Board through their MCDO.

With a view to closely monitor these payments and to ensure submission of Life Certificate by the pensioners (both in physical and digital form), it is desired that the process of physical verification of Railway Pensioners is carried out this year also too.

Hence, all Zonal Railways/PUs are advised to carry out the exercise of physical verification of Railway Pensioners this year, by forming teams comprising staff of Accounts and Personnel Departments for two months commencing November, 2021 and December, 2021, duly following the norms of social distancing. The outcome reports may be submitted to Board in the prescribed format by 15.01.2022 by mail at ajay.bartwal@gov.in.

S.No.	Name of the pension disbursing Bank	Total No. of Railway Pension accounts at the bank	Number of Pension accounts verified at the bank	Nature of discrepancy detected,	Remedial action/ corrective action taken/proposed to be taken

At the conclusion of this exercise, the nominated Railway official will jointly sign certificate with the bank bringing out the number of pensioners/family pensioners drawing pension/family pension from the branch and amount of pension paid for the previous month and current month.

This issues with the approval of the Competent Authority.

9/11/24

(Ajay Bartwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

Copy to : PFAs/PCPOs, All Zonal Railways&PUs

SUGGESTED CHECKLIST FOR GUIDANCE OF STAFF NOMINATED FOR VERIFICATION OF PENSION AT THE BANKS

1. The employees deputed to the particular branch should carry the latest debit scroll with the names of the pensioners to verify its correctness with bank records.

2. 100% matching of demographic details of the pensioners including bank account number with that of the bank.

3. Physical verification of the pensioner will be checked w.r.t:-

 i) Life certificate (physical /digital).
 ii) PPO details – confirm the personal details and details of his/her dependants.
 iii) Proof/Authenticity of the certificate of dependency in case of dependants drawing family pension.
 iv) Bank account number

4. Whether payment of revised pension has been commenced. If no, requisite details may be collected from the pensioners visiting the banks.

5. Admissibility of DR to the pensioner who are permanently absorbed in PSUs.

6. Additional quantum of pension w.r.t date of birth of the pensioner/family pensioner.

7. Any other item which the FA&CAO may consider fit.

8. After conclusion of this exercise, the nominated railway official will jointly sign certificate with the bank that _____ number of pensioners/family pensioners are drawing pension from the branch and the debit for the month of November, 2021 and December 2021 is ` _____.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.59/2021

सं.2010/एसी-II/21/10/पार्ट-IV (वाल्यूम II) नई दिल्ली, दिनांक: 09.11.2021

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: बैंक में रेलवे पेंशनभोगी का प्रत्यक्ष सत्यापन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 11.10.2021 (आरबीए सं.54/2021) का समसंख्यक पत्र।

बढ़ते हुए पेंशन व्यय से क्षेत्रीय रेलों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अतिरिक्त पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रत्येक माह मौके पर जांच एवं आंतरिक जांच की जा रही हैं और उनके एमसीडीओ के जरिए बोर्ड को इसकी रिपोर्ट दी जा रही है।

इन भुगतानों की गहन निगरानी करने और पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के मद्देनज़र, यह वांछा की जाती है कि रेलवे पेंशनभोगियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्रवाई इस वर्ष भी की जाए।

अत: सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को सुझाव दिया जाता है कि नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 से दो माह के लिए लेखा और कार्मिक विभागों के कर्मचारियों की टीम बनाकर सामाजिक दूरी के मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए इस वर्ष रेलवे पेंशनभोगियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्रवाई करें। बोर्ड को निर्धारित फार्मेट में इसकी परिणाम रिपोर्ट 15.01.2022 तक ajay.bartwal@gov.in पर मेल की जाए।

क्र.सं.	पेंशन संवितरण बैंक का नाम	बैंक में रेलवे पेंशन खातों की कुल सं.	बैंक में सत्यापित किए गए पेंशन खातों की संख्या	पाई गई विसंगति की किस्म	की गई/की जाने वाली प्रस्तावित निवारक कार्रवाई/ सुधारात्मक कार्रवाई

इस कार्रवाई के अंत में, नामित रेलवे पदाधिकारी शाखा से पेंशन/परिवार पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की संख्या और पिछले माह एवं वर्तमान माह के लिए भुगतान की गई पेंशन की राशि प्रदर्शित करने वाले बैंक के साथ प्रमाण-पत्र पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक, वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रधान वित्त सलाहकार/प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

बैंक में पेंशन के सत्यापन के लिए नामित कर्मचारी के मार्गदर्शन के लिए प्रस्तावित जांच-सूची।

1. शाखा विशेष में तैनात कर्मचारी द्वारा पेंशनभोगियों की नवीनतम डेबिट सूची से पेंशनभोगियों के नाम की सत्यता बैंक रिकॉर्ड से सत्यापित करना।

2. पेंशनभोगियों के बैंक खाता नंबर के साथ उनके डेमोग्राफिक विवरण का शत-प्रतिशत मिलान करना।

3. पेंशनभोगी के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए निम्नलिखित की जांच की जाएगी:
 (i) जीवन प्रमाण-पत्र (भौतिक/डिजिटल)।
 (ii) पीपीओ विवरण - पेंशनभोगियों के निजी विवरण और उनके आश्रितों के विवरण की पुष्टि करना।
 (iii) यदि आश्रित परिवार पेंशन लेते हैं तो आश्रित होने के प्रमाण-पत्र के साक्ष्य/सत्यता की जांच करना।
 (iv) बैंक खाता नंबर।

4. क्या संशोधित पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। यदि नहीं, तो बैंक जाकर पेंशनभोगियों से अपेक्षित विवरण प्राप्त करना।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से समाहित पेंशनभोगियों के डीआर की स्वीकार्यता।

6. पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की जन्म-तिथि के संबंध में अतिरिक्त पेंशन राशि।

7. कोई अन्य मद, जिसे वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी उचित समझें।

8. इस कार्रवाई के अंत में नामित रेलवे पदाधिकारी बैंक के साथ संयुक्त रूप से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे कि बैंक की शाखा से पेंशन/परिवार पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की संख्या है और नवंबर, 2021 एवं दिसंबर, 2021 माह में राशि डेबिट की गई है।